[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड (3), उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 6/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2018

सा.का.नि..... (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा उन सेवाओं की आपूर्ति पर, जिनका आयात भारत के भू-क्षेत्र में किया गया हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 20 के द्वारा लागू किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की अनुसूची ।। के मद 5 के उप मद (ग) के अंतर्गत आती हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 के अंतर्गत लगाए जाने वाले एकीकृत कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक उन पर सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 10 के उप नियम (1) के उप वाक्य (ग) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट संव्यवहार मूल्य में शामिल रॉयलटी और लाइसैंस शुल्क के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप धारा (1) के अंतर्गत घोषित उस प्रतिफल पर, जिस पर की यथोचित सीमा शुल्क भुगतान किया गया है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (7) के अंतर्गत सकल सीमा शुल्क लगाया जाता हो ।

[फाइल संख्या 354/13/2018 -टीआयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार